तो इनको तनख्वाह देनी पड़ेगी, इस प्रकार का काम कंसल्टेंसी सर्विस में नहीं हो सकता है। इसलिए जो कांट्रेक्ट पर लेबर हैं, उनको परमानेंट करना संभव नहीं है।.....(व्यवधान)...

श्री मोहम्मद आज़म खान पहले तो ज़िंदगी भर की गुलामी होती थी, अब तीन साल की होती है।

श्री गया सिंह: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने ठीक ही कहा कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को दूसरे लोग कांट्रेक्ट देते हैं लेकिन वे अपना कांट्रेक्टर भी रखते हैं, क्योंकि वे डायरेक्ट काम नहीं कराते हैं। वे ठेकेदार लगाते हैं और ठेकेदार पैटी ठेकेदार लगाता है और पैटी ठेकेदार फिर तीसरा ठेकेदार लगाता है। ठेकेदार मज़दूरों को उनके परमानेंट या टेम्पोरेरी जो भी काम हैं, तो उनके अपने इंप्लाइज़ को उसी काम के लिए जो तनख्वकह और सुविधा मिलती है, क्या ठेकेदार, पैटी ठेकेदार और मज़दूर को भी वही सुविधा मिलती है, क्योंकि काम तो एक ही है, केवल हमें यह बता दीजिए?

श्री राम नाईक: सभापति जी, इसमें जिनको हम आम तौर पर छोटा मज़दूर कहते हैं, ऐसे छोटे मज़दूरों का इसमें कोई काम ही नहीं होता है। अब ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं कि एक या दो पियोन लगे होंगे लेकिन साईट पर जाकर काम करना होता है और ये सारा इंजीनियरिंग का काम करते हैं। वे खुद ट्रलिंग या इस प्रकार का कोई काम खुद नहीं करते हैं, वे खाली इंजीनियरिंग सर्विस देते हैं। इसलिए मोटे तौर पर जो कहा जाता है कि कांट्रेक्टर ऐसे ही अनट्रेंड लोगों को नौकरी पर रखते हैं, इस प्रकार का काम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में नहीं होता है।

Implementation of report of Bachhawat and Manisana Wage Board

*467. DR. ARUN KUMAR SARMA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether recommendations of the Bachhawat Wage Board and Manisana Wage Board Reports were accepted by Government for implementation;

(b) if so, date of submission of such report, recommendations accepted, date of issue of notification and implementation status of each recommendation in various States and Union Territories; and

(c) the reasons for non-implementation of such report in Assam and targeted action contemplated to ensure its early compliance?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYA NARAYAN JATIYA): (a) and (c) A statement is laid on the Table of the house.

Statement

The report of the Bachawat Wage Board was submitted to the Government on 30.5.1989. The recommendations regarding pay scales, dearness allowance, house rent allowance, city compensatory allowance etc. were accepted by Government vide notifications dated 31.8.89 and the rates of house rent allowance and city compensatory allowance were modified by notification dated 21.1.1990. The responsibility for implementation of recommendations lies with State Governments. As per information received from State Governments, out of 1715 newspaper establishments, 643 have fully implemented and 26 have partially implemented the recommendations. A statement showing position of implementation in various States/Union Territories is enclosed at Statement-I. (*See* below)

As regards recommendations of Manisana Wage Board, the final recommendations have not been submitted to the Government. In October, 1995, the Manisana Wage Board submitted Interim Report recommending 15% of the basic wage as interim relief to all newspapers employees. The Government notified the interim relief vide Notifications dated 24.9.96 giving interim relief at the rate of 20% of the basic wage and an additional amount of Rs. 100/- p.m. w.e.f. 20.4.1995.

The Manisana Wage Board submitted tentative proposals to the Government on 21.12.1999 which were published in the Gazette on 30.12.1999. The employers' and employees' organisations and other persons interested in the revision of rates of wages were required to submit their comments with respect to tentative proposals. In response to the above notice, 72 parties submitted their comments and 42 requested for oral hearings. The oral hearings on comments/objections were completed in three rounds during February 22-25, March 14-17 and March 27-31, 2000.

The meetings of the Manisana Wage Board to finalise the report were held during 17th to 20th April, 2000. The Board is yet to submit final report.

As per information received from the Government of Assam, the Bachawat Wage Board Award has been implemented by four newspaper estalishments namely, Assam Tribune, Dainik Asom, Janambhumi and the Sentinel Group of Papers, out of a total of 74 newspaper establishments.

It has further been reported that in a tripartite meeting held on 30.10.1999 between representatives of newspaper employees, employers and government officials, a decision was taken to ask newspaper establishments to determine

the category to which they belong in terms of gross revenue and to pay wage rates to the journalists/ non-journalists as per that category. This tripartite meeting also fixed 1.1.1999 as the date by which they should comply with the direction. However, no other newspaper establishments excepting those noted above have revised the wage rates of their employees in terms of the Bachawat Award. Failing to get response from owners of the Newspaper establishments, 151 Journalists and non-Journalists have made applications to the State Government for recovery of their dues from the employers. The Government of Assam have issued certificate for realization of their dues.

Statement-I

As on 31.10.1999

Sl. No.	State/U.T	No. of Newspaper Establish-ments	Which have implemented			Tripar-tite Commi-ttee formed	Implemen-tation cel formed
			Fully	part-ially	Not implement		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Andhra Pradesh	27	15	4	8	1	—
2.	Assam	74	4	—	70	1	—
3.	Arunachal Pradesh	3	1	1	2	—	—
4.	Bihar	144	9	2	133	1	—
5.	Chandigarh	2	2	—	—	—	—
6.	Delhi	92	49	3	0	—	1
7.	Goa	8	8	—	—	—	—
8.	Gujarat	21	19	1	1	—	—
9.	Haryana	2	1	—	1	—	—
10.	Himachal Pradesh	4	4	—	—	—	—
11.	Karnataka	140	15	—	125	—	—
12.	Kerala	57	43	—	14	1	—
13.	Madhya Pradesh	83	67	8	8	1	—
14.	Manipur	89	—	—	89	—	—
15.	Maharashtra	175	135	—	40	1	1
16.	Meghalaya	1	—	—	1	—	—
17.	Orissa	27	7	—	20	1	—
18.	Punjab	15	3	6	6		1
19.	Pondicherry	2	2	—	—	—	—
20.	Rajasthan	35	35	34	—	—	1
21.	Tamil Nadu	102	90	—	12	—	—
22.	Tripura	17	—	—	17	1	—
23.	Uttar Pradesh	169	121	—	48	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	West Bengal	420	13	2	405	1	—
*25.	Sikkim	—	—	—	—	—	—
26.	Nagaland	6	—	—	6	—	—
	Total:	1715	643	26	1046	10	4

Note: 1. There is no newspaper establishment in the following Union Territories : (a) Andaman & Nicobar, (2) Dadar & Nagar Haveli, (3) Lakshadweep & (4) Daman & Diu.

2. Information is nil in respect of Mizoram and Jammu and Kashmir

*The act is yet to be extended in the state.

DR. ARUN KUMAR SARMA: Sir, this is the general tendency on the part of the newspaper managements. They either defer the payment or deny under various pretext the benefits duly recommended by the Wage Boards. While the country has already implemented the Fifthy Pay Commission's report, we are yet to implement the Manisana Wage Board Report on various issues. The reply is also indicative of the fact that the compliance with the Bachhawat Wage Board's recommendations is less than 35 per cent. It is a very serious matter. There is also a tendency on the part of the Central Government to shift the responsibility on to the State Governments, as the hon. Minister has said in his reply that the State Governments are to ensure the compliance with the Wage Board recommendations by various newspapers. I want to know from the hon. Minister what precisely the Union Government is contemplating to ensure compliance with the Wage Board recommendations by all the newspapers in the country. May I know from the hon. Minister whether the Government will bring forth some legislation which can ensure mandatory compliance with the Wage Board recommendations?

डा॰ सत्य नारायण जटिया: माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य वेज बोर्ड की इम्पलीमेंटेशन के बारे में जानना चाहते हैं। बछावत आयोग के संदर्भ में जो सिफारिशें आई थीं उनमें स्टेटवाइज जो इम्पलीमेंटेशन हुआ है, इसकी जानकारी मेरे पास है। आन्ध्र प्रदेश में जिन समाचारपत्र प्रतिष्ठानों पर यह लागू होना है उनकी संख्या 27 है। जिन्होंने पूरी तरह से लागू कर दिया है, उनकी संख्या 15 है और जिन्होंने आंशिक रूप से लागू किया है उनकी संख्या 4 है तथा जिन्होंने कार्यान्वित नहीं किया है उनकी संख्या 8 है। इसको लागू करने के लिए जहां पर त्रिपक्षीय समिति गठित की गई, उसकी संख्या एक है।

इसी प्रकार असम समाचारपत्र प्रतिष्ठानों की संख्या 74 है। जिन्होंने इसको लागू किया है, उनकी संख्या चार है और जिन्होंने लागू नहीं किया है उनकी संख्या 70 है। इसको लागू करने के लिए जहां समिति गठित की गई है, उसकी संख्या एक है। इसी प्रकार से अरूणाचल प्रदेश में तीन

समाचारपत्र प्रतिष्ठान हैं जिनपर लागू किया जाना है। पूरी तरह से जिस पर लागू कर दिया है उसकी संख्या एक है तथा दो ने इसे कार्यान्वित नहीं किया है।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: पश्चिमी बंगाल की स्थिति क्या है?

डा. सत्य नारायण जटिया: महोदय, पूरे देशभर का रिकार्ड मेरे पास है। जैसा आप निर्देश करेंगे, मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूं।

श्री सभापति: आप टेबल पर रख दीजिए।

डा. सत्य नारायण जटिया: जी, मैं टेबल पर रखता हूं।

DR. ARUN KUMAR SARMA: Sir, my question was, instead of making the State Governments responsible for ensuring compliance with the report of the Wage Board, is the Union Government contemplating to bring forth a legislation to ensure mandatory compliance with the recommendations of the Wage Board? That was my question.

डा. सत्य नारायण जटिया: वास्तव में यह अधिकार क्षेत्र का मामला है। इसे लागू करने के लिये स्टेट ही कम्पीटेंट हैं और उनको इसे लागू करना चाहिए। इसके बारे में क्या प्रावधान होना चाहिये। यह एक अलग विषय होगा। आज हमारे पास जो मणिसाना वेज बोर्ड है, इसको गठित करने का काम हमनें 1994 में किया था। इसके लिये कोई समय-सीमा नहीं दी गई है। समय-सीमा न होने कारण और अनेक प्रकार की कानूनी अड़चनों के आने के कारण, जब हाई कोर्ट में यह मामला चला गया ते उसके कारण, और अभी भी यह प्रकरण हाई कोर्ट में है तथा इसकी सुनवाई न होने के कारण इसमें समय लगा है, यह त्रिपक्षीयता का मामला है। इस त्रिपक्षीयता के आधार पर उसमें नियुक्ता हैं, पत्रकार हैं और सरकारी पक्ष हैं। इन तीनों पक्षों द्वारा एक साथ क्रियान्वित करके निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जाती है। उसमें सामंजस्य और निष्कर्ष निकालने के बाद ही इसको पूरा करने का काम किया जाता है। हमने भी हर संभव कोशिश की है कि जल्दी से जल्दी यह काम पूरा हो जाए ताकि पत्रकारों तथा संबंधित लोगों को इसका लाभ मिल सके। इस बीच हमने अंतरिम राहत घोषित करने का काम किया है और जैसे ही हमारे पास यह रिपोर्ट आएगी, सरकार इसको प्रभावशाली बनाने के लिये उपाए निकालेगी।

DR. ARUN KUMAR SARMA: It was my first supplementary which he has replied. I have got another supplementary. Even the first supplementary was not properly replied. My precise question was: Will the Government bring forth a legislation to ensure mandatory compliance with the recommendations of the Wage Board?

My second supplementary arises out of the Minister's main reply. He said, "The Government notified the interim relief vide Notification dated 24.9.1996 giving interim relief at the rate of 20 per cent of the basic wage and an additional amount of Rs. 100/ p.m. w.e.f. 20.4.1995." But the reply of the hon. Minister is silent about the implementation of the Manisana Wage Board's interim recommendations. I want to know precisely what is the status of the implementation of the recommendations of the interim report?

डा॰ सत्य नारायण जटिया: मेरे पास जो जानकारी आई है उसमें इम्पलिमेंटशन की बात भी मेरे पास आई है। जो अंतरिम सिफारिशों के रूप में, अक्तूबर, 1995 में मणिसाना वेतन बोर्ड ने सभी समाचार-पत्र कर्मचारियों को अंतरिम राहत के रूप में मूल वेतन के 15 प्रतिशत की सफिारिश करते हुये अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। सरकार ने 20.4.95 से मूल वेतन के 20 प्रतिशत की दर से अंतरिम राहत प्रदान करने और 100 रुपए प्रति माह की दर से अंतरिम राशि प्रदान करने के संबंध में 24 सितम्बर, 1996 की अधिसूचना के तहत अंतरिम राहत कोष अधिसूचित भी कर दिया था। स्टेट्स, जहां इम्पलिमेंट करने का काम था वह चंडीगढ़ में 100 प्रतिशत हो गया है, केरल में 100 प्रतिशत हो गया है, पंजाब में 15 समाचार-पत्रों में से तीन ने पूरी तरह से इम्पलिमेंट कर दिया है, 6 ने आश्वासन दिया है और 6 ने अभी कार्यान्वित नहीं किया है। हरियाणा में 70 प्रतिशत तक कार्यान्वित हो चुका है। दिल्ली में अभी तक इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है। इस संबंध में मेरे पास देश भर की जानकारी है। आप चाहें तो मुझ से इन्हें प्राप्त कर सकते हैं।

श्री रामदास अग्रवाल: सभापति महोदय, मेरा आपसे एक निवेदन है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि वेज बोर्ड लागू नहीं हुये हैं। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर आधे घंटे की चर्चा का समय निकालें।

SHRI KULDIP NAYYAR: Sir, is the Government aware of the fact that 99 per cent of the newspaper journals are owned and edited by the same people? That means, there is no other editor except the owner himself and the profession is getting converted into an industry. It has ceased to be what it used to be. This being the case, journalists are being made to write certain things or do certain things which will help the owner economically and politically. Secondly, they are not paid the wages which the Wage Board has recommended. But they are made to give a receipt for a much bigger amount.

डा॰ सत्य नारायण जटिया: माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि जो जिस प्रकार के समाचार-पत्र हैं, लिखने के लिये उसकी विचारधारा के अनुरूप आर्थिक और राजनैतिक परिस्थितियों को प्रोजेक्ट करें, उस संबंध में मेरा कहना है कि हर समाचार-पत्र की अपनी नीति होती है और उसी आधार पर उस नीति के अंतर्गत इस प्रकार के लेखों का लिखा जाना स्वतंत्रता के अधिकारों के अंदर

आता है। इसमें किसी के लिये कोई रुकावट नहीं है। इस दृष्टि से जहां तक उनका यह कहना है कि जो वेज बोर्ड लागू होता है, उस वेज बोर्ड को लागू करने के साथ ही जो वेतनमान और अन्य बातें निश्चित की जाती हैं, उसमें रेम्यूनरेशन मिलना चाहिये, मेहनताना मिलना चाहिये, उस मेहनताने में कोताही होती है, यदि इस प्रकार की कोताही करने की शिकायत या अन्य कोई बात सामने आती है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी।

श्री कैलाश जोशी: सभापति महोदय, मंत्री जो ने जो सूची दी है, वह सूची, जहां फुली इम्पलिमेंट हो गये हैं, जहां पर्शियली हुये हैं और जहां इम्पलिमेंट ही नहीं हुए हैं, की है। मैं उस पूरी सूची में न जाते हुये माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बिहार में 144 में से 133 अभी तक पेंडिंग हैं, कर्नाटक में 140 में से 125 पेंडिंग हैं, वेस्ट बंगाल में 420 में से 405 अभी तक पेंडिंग हैं। यह पेंडेंसी जो इतनी बड़ी संख्या में है क्या उसके लिये केन्द्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों को लिखित निर्देश देकर विशेष कार्रवाई करने के प्रयास किये जा रहे हैं?

डा. सत्य नारायण जटिया: माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की उससे कोई भी असम्मत नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि राज्य सरकारों को जब यह दायित्व दिया जाएगा तो उन्हें क्रियान्वित करने का काम भी उन प्रदेशों को करना पड़ेगा।

श्री कैलाश जोशी: वह नहीं कर रहे हैं तो?

श्री टी. एन. चतुर्वेदी: वह नहीं कर रहे हैं इस की वजह से ही यह प्रश्न खड़ा हो रहा है। हम लोगों का पूछना है कि इसके लिये आप क्या करेंगे? यह इतना महत्वपूर्ण डेमोक्रेसी का हिस्सा है और वे अपनी मांगें और कठिनाईयां हमारे सामने लाते हैं। अगर उनकी कोई कठिनाई है तो उनकी तरफ हम लोगों को ध्यान देना चाहिये। कुलदीप नायर जी ने जो कहा अगर ऐसा होता है तो हम समझते हैं कि यह बहुत गलत चीज है।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Regular Promotions to the Grade-I of CSS

*461. SHRI BRATIN SENGUPTA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there has been no regluar promotions to the